

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक

संख्या-08/आ05-34/2022/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 1609 दिनांक 23.05.2022 द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय भुड़िया, सन्हौला, भागलपुर-सम्प्रति-प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बरबीघा, शेखपुरा के विरुद्ध विद्यालय भवन में आवासित रहने, मकान किराया भत्ता प्राप्त करने, शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति में मनमानी करने एवं बारम्बार निदेशों के बावजूद मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ नहीं करने से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 694 दिनांक 02.09.2022 द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी से बचाव अभिकथन की मांग की गई, जिसके अनुपालन में उनके पत्रांक 399 दिनांक 13.09.2022 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती रेणु कुमारी से प्राप्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी एवं स्मारित किया गया। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा उक्त मामले में मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती सिंह द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया है कि किराया का मकान नहीं मिलने के कारण वे विद्यालय में आवासित थी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा मकान आवास भत्ता काटे जाने की बात कही गयी, उक्त को आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए आवास भत्ता काटे जाने हेतु जिला कार्यालय को आवेदन उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार प्रथम आरोप को स्वीकार किया गया। शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति के संबंध में अंकित किया गया है कि श्रीमती राजेश्वरी कुमारी, शिक्षिका के द्वारा चुनाव में कार्य नहीं किया गया था, इस कारण उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दी गयी। मध्याह्न भोजन प्रारंभ नहीं होने के संबंध में अंकित किया गया है कि प्रखंड साधन सेवी, पी0एम0 पोषण योजना, सन्हौला तथा वेन्डर के द्वारा सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मध्याह्न भोजन योजना बाधित था। इस हेतु प्रखंड साधन सेवी को दोषी बताया गया है।

श्रीमती रेणु कुमारी के बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य अस्पष्ट एवं साक्ष्यविहीन है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि किराया का मकान नहीं मिलने के कारण विद्यालय में आवासित थी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा मकान आवास भत्ता काटे जाने की बात कही गयी, उक्त को आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए आवास भत्ता काटे जाने हेतु जिला कार्यालय को आवेदन उपलब्ध कराया गया। आरोप के दूसरा एवं तीसरा बिन्दु पर प्राप्त बचाव अभिकथन विचारयोग्य है।

अतः समीक्षोपरांत श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय भुड़िया, सन्हौला, भागलपुर-सम्प्रति-प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बरबीघा, शेखपुरा को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट रहें।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक :-08/आ०5-34/2022-1088

पटना, दिनांक 30.09.2026

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर एवं शेखपुरा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), भागलपुर एवं शेखपुरा/श्रीमती रेणु कुमारी, तत्कालीन प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी विद्यालय भुड़िया, सन्हौला, भागलपुर-सम्प्रति-प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बरबीघा, शेखपुरा एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा